कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमरिया(म.प्र.)

E-mail– dcourtuma-mp@nic.in *Contact No. 07653-222760

:: सीमित निविदा सूचना ::

क्रमांक 656 /तीन–3–4/09 उमरिया, दिनांक 04.05.2018

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्त वर्ष 2018–19 में इस न्यायिक जिला स्थापना पर मुख्यालय, तहसील मुख्यालयों तथा अनुभागों के लिए 18 नग सिंफनी कूलर Winter XL के क्रय हेतु विभिन्न सक्षम फर्म से मध्यप्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 की कण्डिका 11.1.2 के पालन में दिनांक 15.05.2018 के सायं 5.00 बजे तक निर्धारित शर्तों के अधीन संलग्न निविदा फार्म पर बंद लिफाफे में "कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमरिया" के नाम से आवक–जावक अनुभाग में अथवा कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के ई–मेल आई.डी. dcourtuma-mp@nic.in के माध्यम से निविदायें आमंत्रित है:–

1. सभी प्रकार के करों व क्रय मूल्य का खुलासा तथा साकल योग स्पष्ट रूप से निविदा में किया जावेगा।
2. सामग्री प्रदाय किये जाने के उपरांत ही बिल ग्राह्य किया जावेगा।
3. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को निविदा स्वीकृति की अनुशंसा भेजने पर प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत अमानत राशि रू. 5000/–(अक्षरी पॉच हजार रूपये मात्र) का बंध पत्र इस कार्यालय की सूचना प्राप्त होने पर तीन दिवस के अंदर जमा करने पर क्रय की जाने वाली सामग्री का मांग आदेश जारी किया जावेगा।
4. मांग का आदेश करने से एक सप्ताह के अंदर सामग्री की प्रदायगी सुनिश्चित करना होगा अन्यथा क्रय की सामग्री के लिए मांग का आदेश निरस्त किया जाकर अधिरोपित किया जावेगा।
5. क्रय की जाने वाली सामग्री प्रदायगी उपरांत विभागीय क्रय समिति द्वारा निविदा अनुरूप गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक अनुसार पाये जाने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही देयक पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी अन्यथा क्रय की गई सामग्री अमानक पाये जाने पर मूलतः विक्रेता के व्यय पर वापस की जावेगी।
6. नियंत्रणाधिकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया उक्त ई–निविदा में विवाद में अंतिम निर्णायक होंगे।
7. प्रशासकीय कारणों से उक्त ई–निविदा किसी भी समय व किसी भी प्रक्रम पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।

संलग्न :– निविदा फार्म।

4/5/18

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया